रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एस.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 259] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 14, 1983/ज्येष्ठ 24, 1905
No. 259] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 14, 1983/JYAISTHA 24, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 1983

का० आ० 430(अ) :— राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

गोवा, दमण और दीव विधान सभा के अध्यक्ष ने राष्ट्रपति को उनके विनिश्चय के लिए यह प्रश्न निर्देशित किया है कि क्या श्री गुरुदास तारी, जो गोवा, दमण और दीव विधान सभा के आसीन सदस्य हैं, इस कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 9क के साथ पठित संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 (1963 का 20) की धारा 14(1)(ख) के अधीन निरर्हित हो गए हैं कि उन्होंने गोवा, दमण और दीव सरकार के साथ संविदा की है;

भारत के राष्ट्रपति ने संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 14(4) के अधीन इस प्रश्न पर निर्वाचन आयोग की राय मांगी है कि क्या श्री गुरुदास तारी इस प्रकार निरर्हित हो गए हैं;

निर्वाचन आयोग ने अपनी यह राय दी है (उपाबंध देखिए) कि उक्त श्री गुरुदास तारी इस प्रकार निरर्हित नहीं हुए हैं ;

अतः मैं, जैल सिंह, भारत का राष्ट्रपति, संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 14 की उपधारा (3) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार यह विनिश्चय करता हूं कि उक्त श्री गुरुदास तारी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 9क के साथ पठित संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 14(1)(ख) के अधीन गोवा, दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा का सदस्य बने रहने के लिए निरर्हित नहीं हुए हैं।

राष्ट्रपति भवन,
नई दिल्ली,
8 जून, 1983

जैल सिंह
भारत का राष्ट्रपति

उपाबंध

भारत निर्वाचन आयोग

भारत सरकार आयोग के समक्ष 1982 का निर्देश मामला सं० 9।

(भारत के राष्ट्रपति से संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 14(4) के अधीन निर्देश)

गोवा, दमण और दीव विधान सभा के सदस्य श्री गुरुदास तारी की अभिकथित निरर्हता के मामले में—

राय

राष्ट्रपति ने इस निर्देश में संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 14(4) के अधीन आयोग से इस प्रश्न पर राय मांगी है कि क्या श्री गुरुदास तारी, जो गोवा, दमण और दीव विधान सभा के सदस्य हैं, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9-क के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 14(1)(ख) के अधीन इस कारण से निरर्हित हो गए कि उन्होंने गोवा, दमण और दीव सरकार के साथ संविदा की है।

2. उपर्युक्त प्रश्न गोवा, दमण और दीव विधान सभा के अध्यक्ष ने अधिनियम की धारा 14(3) के अधीन राष्ट्रपति को उसके विनिश्चय के लिए निर्देशित किया है।

3 यह प्रश्न सर्वप्रथम गोवा, दमण और दीव विधान सभा में मुख्य मंत्री द्वारा 16 जुलाई, 1982 को विधान सभा के एक अन्य आसीन सदस्य श्री विलफ्रेड एफ० देसाई द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न के उत्तर के माध्यम से उत्पन्न हुआ था। अध्यक्ष को लगा कि इस मामले में मुख्य मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर टालमटोल वाला है अतः अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही की प्रति सहित मामला राष्ट्रपति को निर्देशित कर दिया।

4. आयोग द्वारा दी गई सूचना के उत्तर में श्री गुरुदास तारी ने अपना लिखित कथन फाइल किया। उनकी सुनवाई 8 मार्च, 1983 को की गई। सुनवाई की सूचना अध्यक्ष को श्री तारी के लिखित कथन की एक प्रति सहित, भेजी गई थी।

5. सुनवाई के समक्ष अध्यक्ष का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। अध्यक्ष या किसी अन्य व्यक्ति ने श्री तारी के लिखित कथन का कोई लिखित उत्तर फाइल नहीं किया वास्तव में गोवा विधान मण्डल के सचिव ने आयोग को सूचित किया कि अध्यक्ष ने यह मामला समुचित प्राधिकारी के विनिश्चय पर छोड़ दिया है।

6. उच्चतम न्यायालय के ज्येष्ठ काउंसेल श्री आर०के० गर्ग, ने जो श्री तारी की ओर से उपस्थित हुए, यह दलील दी कि श्री तारी द्वारा गोवा, दमण और दीव की सरकार के लोक निर्माण विभाग के साथ की गई आक्षेपित संविदा उनके द्वारा सरकार से वन उत्पाद क्रय करने के लिए थी। आगे यह दलील दी गई कि यह संविदा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 9-क के विषय क्षेत्र में नहीं आती है, क्योंकि श्री तारी ने यह संविदा उस धारा के अर्थान्तर्गत समुचित सरकार, अर्थात् गोवा, दमण और दीव की सरकार के साथ अपने व्यापार या कारबार के अनुक्रम में उस सरकार को माल का प्रदाय करने के लिए या उस सरकार द्वारा उपक्रान्त किन्हीं संकर्मों के निष्पादन के लिए नहीं की है।

7. श्री गर्ग ने अपनी दलीलों के समर्थन में (1) ज्ञान चन्द बनाम श्री राम लाल बंसल और अन्य, जिसका विनिश्चय निर्वाचन अधिकरण, पटियाला ने किया था (2 ई एल आर 136); (2) लुम्बा राम बनाम राम नारायण और अन्य जिसका विनिश्चय निर्वाचन अभिकरण, बीकानेर ने किया था (5 ई एल आर 319), टी० सिद्दालिंगैया वाला मामला, जिसका विनिश्चय निर्वाचन आयोग ने किया था (7 ई एल आर 416 और 20) और (4) श्री आर० देशपाण्डे बनाम मुत्तम रेड्डी और अन्य जिसका विनिश्चय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने किया था (20 ई एल आर 314), के मामले उद्धृत किए हैं।

8. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 9-क निम्नलिखित रूप में है :—

"कोई भी व्यक्ति निरर्हित होगा, यदि और जब तक कोई ऐसी संविदा विद्यमान है जो उसने समुचित सरकार के साथ अपने व्यापार या कारबार के अनुक्रम में उस सरकार को माल का प्रदाय करने के लिए या उस सरकार द्वारा उपक्रान्त किन्हीं संकर्मों के निष्पादन के लिए की है।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए जहां कि कोई संविदा उस व्यक्ति द्वारा, जिसके द्वारा वह समुचित सरकार के साथ की गई थी, पूर्णतया निष्पादित कर दी गई है, वहां उस संविदा के बारे में केवल इस तथ्य के कारण कि सरकार ने उस संविदा के अपने भाग का पूर्णतः या भागतः पालन नहीं किया है यह नहीं समझा जाएगा कि वह विद्यमान है।

9. कोई संविदा उपर्युक्त धारा की रिष्टि के भीतर तभी आती है जब—

(1) सदस्य ने विद्यमान संविदा की हो;

(2) वह संविदा समुचित सरकार, अर्थात्, संसद् सदस्य के मामले में केन्द्रीय सरकार और विधान मण्डल के सदस्यों के सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्य सरकार के साथ अपने व्यापार या कारबार के अनुक्रम में की हो; और

(3) वह संविदा समुचित सरकार को माल का प्रदाय करने के लिए या समुचित सरकार द्वारा उपक्रान्त किन्हीं संकर्मों के निष्पादन के लिए हो।

10 प्रस्तुत मामले में यह निसंदेह स्वीकृत है कि श्री तारी ने गोवा दमण और दीव सरकार के साथ संविदा की है। इसलिए संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या आक्षेपित संविदा गोवा, दमण और दीव की सरकार के साथ माल का प्रदाय करने के लिए या उस सरकार द्वारा उपक्रान्त किन्हीं संकर्मों के निष्पादन के लिए है। लिखित कथन के अनुसार, जिसका प्रतिवाद नहीं किया गया है, श्री तारी ने कार्यपालक इंजीनियर, निर्माण प्रभाग 22, लोक निर्माण विभाग, गोवा, दमण और दीव की सरकार के कार्यालय की सूचना के उत्तर में एक निविदा प्रस्तुत की थी । उनकी निविदा स्वीकार कर लिए जाने के पश्चात उन्होंने एक करार पर हस्ताक्षर किए थे । यह करार उन सामग्रियों के विक्रय और व्ययन के लिए था जो करार की अनुसूची की मद (ख) (iii) में सूचीबद्ध थी । करार में यह उपबंध भी था कि संविदाकृत क्षेत्र, अर्थात कूपे सं 7 और 8 में 1500 स्टूलों से सामग्री को और वडम स्थित पुनर्वास स्थल से अनुमोदित डिपो तक, हटाने की अनुज्ञा कोट की गई पूरी रकम का संदाय किए जाने के पश्चात ही दी जाएगी। उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि संविदा के निबंधन गोवा, दमण और दीव की सरकार को माल के प्रदाय के लिए नहीं है। इसके विपरीत सरकार द्वारा श्री तारी को माल का विक्रय किया गया था और उनसे यह अपेक्षा की गई थी कि वे उत्पाद को आबंटित क्षेत्रों से हटाएं ।

11. यह संविदा गोवा, दमण और दीव की सरकार द्वारा उपक्रान्त किन्हीं संकर्मों के निष्पादन के लिए भी नहीं थी । बहुवचन शब्द "संकर्मों" का प्रयोग यह अभिप्रेत सूचित करता है कि किसी चीज का निर्माण या संनिर्माण किया जाना है और यह नहीं कि केवल कुछ किया जाना है सामान्य अर्थ में किसी सरकारी उपक्रम को निर्माण संकर्म, सिंचाई संकर्म, रक्षा संकर्म आदि कहा जाता है। इन सभी में किसी न किसी प्रकार की वास्तुकला या इंजीनियरी की संरचना सामान्य लक्षण है। ऐसा प्रतीत होता है कि विधान मंडल ने व्याकरण की दृष्टि से अधिक समुचित एक वचन "कोई कार्य" के बजाय बहुवचन "किन्हीं संकर्मों" का प्रयोग इस वाक्यांश को अधिक सीमित अर्थ प्रदान करने के लिए जानबूझकर किया है। अन्यथा सरकार का हर प्रकार का कार्यकलाप, जिसमें जनसाधारण अन्तर्ग्रस्त है, अधिनियम की धारा 9-क की रिष्टि के अन्तर्गत आ जाएगा। मैं आयोग द्वारा टी० सिद्दलिंगय्या वाले मामले में (7-इ. एल० आर०-416 पृ० 422 पर) अपनाए गए मत को न्यायिक रूप से अकाट्य मानकर स्वीकार करता हूं ।

12. श्री तारी ने लोक निर्माण विभाग को संदाय करके वन उत्पाद हटाकर सरकार को माल का प्रदाय करने की प्रकृति का कोई कार्य नहीं किया है। श्री बनवारी लाल वाले मामले में (51 इ० एल० आर० 137) जो आयोग द्वारा निर्णीत इसी प्रकार का मामला था, यही विधिक निष्कर्ष निकाला गया था । उस समय सुसंगत उपबंध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 7 (घ) थी जो इस बात के सिवाय कि उसका विषय क्षेत्र नीचे विचारित अन्य तथ्यों की वृद्धि के कारण अधिक व्यापक था, अधिनियम की धारा 9-क के, जिस रूप में वह अब है, समरूप थी। उस मामले में वन उत्पाद के क्रय के लिए संविदा थी और संविदा के निबंधनों के अनुसार नियत कीमत पर कुछ अवधि के भीतर विनिर्दिष्ट वन ब्लाक से पेड़ काटे और हटाए जाने थे । यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वे संविदाएं राज्य सरकार को माल का प्रदाय करने के लिए या उस सरकार द्वारा उपक्रान्त किन्हीं संकर्मों के निष्पादन के लिए नहीं थी। यद्यपि करार के अनुसार ठेकेदार को पेड़ और बांस काटने थे और उन्हें कूपों से हटाना था, तथापि ठेकेदार द्वारा सरकार को उपक्रान्त किन्हीं संकर्मों के निष्पादन का प्रश्न नहीं था, क्योंकि संविदाएं विशुद्ध रूप में राज्य सरकार के पेड़ों को क्रय करने और हटाने के लिए थी ।

आर० देशपाण्डे बनाम मूत्तम रेड्डी और अन्य (20 इ० एल० आर० 314) वाले मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का विनिश्चय भी उपर्युक्त मत का समर्थन करता है ।

13. इस संदर्भ में यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 9-क, जिस रूप में वह इस समय है, कुछ बातों में पुरानी धारा 7 (घ) से भिन्न है । धारा 9-क द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पूर्व धारा 7 (घ) के अनुसार समुचित सरकार द्वारा उपक्रान्त किन्हीं सेवाओं को करने के लिए संविदा भी निरर्हता अधिरोपित करने का आधार थी । अधिनियम की धारा 9-क में इस अतिरिक्त तथ्य को निकाल दिया गया है। इसलिए उस धारा के अधीन विद्यमान संविदा के मामलों पर विचार करते समय सरकार द्वारा उपक्रान्त किन्हीं सेवाओं का किया जाना अब निरर्हता के लिए आधार नहीं है। दूसरे शब्दों में कोई विद्यमान संविदा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 9-क के विषयक्षेत्र में तभी आती है जब पूर्ववर्ती पैरा 9 में उल्लिखित शर्तें पूरी हो जाती है ।

14 उपर्युक्त परिस्थितियों में, आयोग यह अभिनिर्धारित करता है कि श्री गुरुदास तारी द्वारा की गई संविदा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 9-क के विषयक्षेत्र में आने वाली संविदा नहीं है। तद्नुसार मैं अपनी यह राय देता हूं कि श्री गुरुदास तारी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 9-क के साथ पठित संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 14 (1) (ख) के अधीन निरर्हित नहीं हुए हैं ।

आर० के त्रिवेदी
भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त

नई दिल्ली,
15-3-1983

[एफ० 7 (18)/83 वि० II]
रु० वें० सूर्य पेरिशास्त्री, सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 1983

S.O. 430(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

Order

Whereas the question, whether Shri Gurudas Tari, a sitting member of the Legislative Assembly of Goa, Daman and Diu has become rejected to the disqualification under section 14 (1) (b) of the Government of Union Territories Act, 1963 (20 of 1963) read with section 9-A of the Representation of the people Act, 1951 (43 of 1951) by reason of a contract entered into by him with the Government of Goa, Daman and Diu, has been referred by the Speaker of the Legislative Assembly of Goa, Daman and Diu, to the President for his decision;

And Whereas, the President of India has sought the opinion of the Election Commission under section 14 (4) of the Government of Union Territories Act, 1963, on the question whether Shri Gurudas Tari has become subject to such disqualification;

And Whereas, the Election Commission has given its opinion (vide Annexure) that the said Shri Gurudas Tari has not become subject to any such disqualification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred on me by sub-section (3) of section 14 of the Government of Union Territories Act, 1963, I, Zail Singh, President of India, do hereby decide in accordance with the opinion of the Election Commission, that the said Shri Gurudas Tari has not become subject to disqualification under section 14(1)(b) of the Government of Union Territories Act, 1963, read with section 9-A of the Representation of the people Act, 1951, for being a member of the Legislative Assembly of the Union Territory of Goa, Daman and Diu.

ZAIL SINGH,

President of India

Rashtrapati Bhawan,
New Delhi,India
8th June, 1983

ANNEXURE

BEFORE THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

Reference Case No. 9 of 1982

(Reference from the President of India under section 14 (4) of the Govt. of Union Territories Act, 1963).

In re : Alleged disqualification of Shri Gurudas Tari, M.L.A. of Goa, Daman and Diu.

OPINION

In this reference, the opinion of the Commission is sought by the President under Section 14(4) of the Govt. of Union Territories Act, 1963 on the question whether Shri Gurudas Tari, a sitting member of the Legislative Assembly of Goa, Daman and Diu, has become subject to the disqualification under section 14 (1) (b) of the Act read with section 9-A of the Representation of the People Act, 1951 by reason of a contract entered into by him with the Govt. of Goa, Daman and Diu.

2. The above question has been referred to the President for his decision under section 14 (3) of the Act by the Speaker of the Legislative Assembly of Goa, Daman and Diu.

3. The question arose first in the Legislative Assembly of Goa, Daman and Diu through an answer given by the Chief Minister on 16th July, 1982 to a starred question by another sitting member of the Assembly, Shri Dilkhush F. Desai. Since the answer given by the Chief Minister in the matter was found to be evasive by the Speaker, the Speaker referred the matter to the President with the copy of the proceedings of the House.

4. In response to the notice of the Commission, Shri Gurudas Tari filed his written statement. The hearing was held on the 8th March, 1983. Notice of the hearing was also sent to the Speaker along with the copy of the written statement of Shri Tari.

5. No representative of the Speaker was present at the hearing; nor any rejoinder was filed by the Speaker or any other person to the written statement of Shri Tari. In fact, the Secretary to the Goa Legislature informed the Commission that the Speaker had left the matter to be decided by the appropriate authority.

6. Shri R. K. Garg, Senior Counsel Supreme Court, who appeared on behalf of Shri Tari contended that the impugned contract entered into by Shri Tari with the P.W.D., Govt. of Goa, Daman & Diu was for the purchase of forest produce by him from the Govt. It was further contended that the contract did not fall within the score of section 9-A of the Representation of the people Act, 1951 as it was not entered into by Shri Tari in the course of his trade or business with the appropriate Govt. viz., the Govt. of Goa, Daman and Diu for the supply of goods to, or for the execution of any works undertaken by, the Govt. within the meaning of that section.

7. In support of his arguments, Shri Garg has cited the cases of (1) Gyan Chandd Vs. Shri Ram Lal Bansal and others decided by Election Tribunal Patiala (2 ELR 136); (2) Lumba Ram Vs. Ram Narain and others decided by Election Tribunal, Bikaner (5 ELR 319) in re. T. Siddalingaiya decided by the Election Commission (7 ELR 416 and 20) and (4) Shri R. Deshpande Vs. Muttam Reddy and others decided by the Andhra Predest High Court (20 ELR 314).

8 Section 9-A of the Representation of the People Act, 1951 reads:—

> "A person shall be disqualified if, and for so long as, there subsists a contract entered by him in the course of his trade or business with the appropriate Government for the supply of goods to, or for the execution of any works undertaken by, that Government.
>
> Explanation :—For the purposes of this section, where a contract has been fully performed by the person by whom it has been entred into with the appropriate Government, the contract shall be deemed not to subsists by reason only of the fact that the Govt. has not performed its part of the contract either wholly or in part."

9. A contract comes within the mischief of the above section only if—

(1) a subsisting contract has been entered into by the member;

(2) the contract is in the course of his trade or business with the appropriate Govt. namely in the case of members of Parliament, the Central Govt. and in the case of Members of Legislature the State Govt. Concerned; and

(3) the contract is for the supply of goods to, or for the execution of any works undertaken by, the appropriate Govt.

10. In the present case, it is no doubt admitted that a contract has been entered into by Shri Tari with the Govt. of Goa, Daman and Diue. Therefore, the short question is whether the impugned contract is for the supply of goods, to, or for the execution of any works undertaken by, the Govt. of Goa, Daman and Diu. According to the written statement, which has not been controverted, Shri Tari submitted a tender in response to the notice by the Office of the Excutive Engineer, Works Division XXII, P.W.D., Govt. of Goa, Daman

and Diu. After his tender was accepted, an agreement was signed by him. The agreement was for the sale and disposal of forest materials listed in item (B) (iii) of the Schedule to the Agreement. The agreement further provided that the removal of materials from the contracted area i.e. stools in coupes No. 7 & 8 1500 Numbers, from Rehabilitation Site at Vaddem to the approved depot, would be allowed after the payment of the full quoted amount: It is clear from the above that the terms of the contract are not for the supply of goods to the Gov. of Goa, Daman and Diu. On the other hand, the goods were sold to Shri Tari by the Govt. and he was required to remove the produce from the allotted areas.

11. The contract was not also for the execution of any works undertaken by the Govt. of Goa, Daman and Diu. The use of the plural word 'Works' connotes something to be built or constructed and not merely something to be done. In common parlance, one refers to a Govt. undertaking building works, irrigation works, defence works etc. in all of which some type of architectural or engineering structure is the common features. The Legislature appears to have deliberately used the plural "any works" instead of the grammatically more appropriate singular 'any work' in order to give a more restricted meaning to the phrase. Otherwise, every form of activity of the Govt. in which the public are invovved would be hit by the mischief of section 9-A of the Act. I accept the view taken by the Commission in re: T.Siddalingaiya (7-ELR-416 at P. 422) as judicially unassailable.

12. By removing the forest produce on payment to the P.W.D., Shri Tari has not undertaken anything in the nature of supply of goods to the Govt. In a similar case, decided by the Commission in re. Shri Banwari Lal (51 ELR 137), this legal conclusion was arrived at. At that time, the relevant provision was Section 7 (d) of the Representation of the People Act, 1951 which was similar to section 9-A of the Act as it stands now except that it was wider in scope with the addition of other elements discussed below. In that case, there was a contract for the purchase of forest produce and in terms of the contract trees were to be cut and removed from a specified forest block within a certain period on price fixed. It was held that the contracts were not for the supply of goods to, or for the execution of any works, undertaken by the State Govt. Although under the agreement, the contractor had to cut down the trees and bamboos and remove them from the coupes, there was no question of the contractor executing any works undertaken by the State Govt, the contract being purely for the purchase and removal of trees belonging to the State Govt.

The decision of the Andhra Pradesh High Court in R. Deshpande Vs. Muttam Reddy and others (20 ELR 314) also supports the above view.

13. In this context, it is significant to note that section 9-A of the Representation of he People Act, 1951 as it stand is different from old section 7 (d) in some respects. Under section 7 (d) before it was replaced by section 9-A, a contract for the performance of any services undertaken by the appropriate Govt. was also a ground for the imposition of disqualification. In section 9-A of the Act this additional element has been deleted. Therefore, while considering the cases of subsisting contract under that section, the performance of any services undertaken by the Govt. is no longer a ground for disqualification. In other words, a subsisting contract falls within the scope of Section 9-A of the representation of the People Act, 1951 only if the conditions referred to earlier in para 9 are fulfilled.

14. In the above circumstances, the Commission holds that the contract entered into by Shri Gurudas Tari is not a contract falling within the scope of Section 9-A of the Representation of the People Act, 1951. Accordingly, I tender the opinion that Shri Gurudas Tari has not been subject to the disqualification under section 14 (1) (b) of the Govt. of UnionTerritories Act, 1963 read with Section 9-A of the Representation of the People Act, 1951.

New Delhi,
March 15, 1983.

R.K. TRIVEDI, Chelf Election Commission of India

[F. No. 7 (18)|83-Leg. II]

R. V. S. PERI SASTRI, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983